



मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी संघ

M.P. Finance Service Officers Association

भोपाल, दिनांक ०२-०६-२०२५

क्रमांक ३६५ म.प्र.वि.से.अधि.सं /

अध्यक्ष

रणजीत सिंह चौहान
7974031736

उपाध्यक्ष

आदित्य सिंह भदौरिया
7000451744
श्रीमती मनीषा मिश्रा
7000324540
श्रीमती अमिता श्रीवास्तव
6264452054

सचिव

विवेक कुमार धारू
9407532895

संगठन मंत्री

तेजनारायण सिंह
9425439707

सांस्कृतिक सचिव

बसंती आठवा
9131570560

सह सचिव

चंद्रकांत साहू
8982838518
ऊषा चरयाम
9406542713
आशीष नंदनवार
9755949210

कोषाध्यक्ष

निखिलेश राकेशिया
9827063258

संघ प्रवक्ता

अरविंद कुमार गुप्ता
8989113860

कार्यकारिणी सदस्य

गुणवत सेवतकर
राजेश मौर्य
अमन फस्तोर
अमर गांजरे
सुनील भदौरिया
रोशन लाल दोनेरिया
रविन अवार्या
अमित श्रीवास्तव
अमित कुमार यादव
योगेन्द्र श्रीवास्तव
रीना यादव
लक्ष्मी नारायण चौहान

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय,
भोपाल

विषय:- वित्त विभाग द्वारा वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं अधिसमय वेतनमान में चयन द्वारा नियुक्ति के संदर्भ में।

आपके द्वारा, दिनांक - 01.01.2025 की स्थिति में वित्त सेवा संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी में चयन (नियुक्ति) हेतु सिलेक्शन कमेटी की बैठक शीघ्र आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, इसके लिए संघ शासन का आभार व्यक्त करता है।

वित्त सेवा अंतर्गत, विभिन्न श्रेणी के वेतनमान, जिस दिनांक से अधिकारियों को दिये गये हैं उसमें "कार्य नहीं वेतन नहीं" का भी उल्लेख है इस संबंध में संघ का प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

- वर्ष 1964 में वित्त सेवा संवर्ग गठन के दौरान केवल दो स्तरीय वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी एवं प्रवर श्रेणी) था। तदपरचात वर्ष-1984 में वित्त विभाग द्वारा वित्त सेवा का तीन स्तरीय वेतनमान (कनिष्ठ वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान) स्वीकृत किया गया। तब से जिसने भी आदेश जारी हुए हैं, सभी आदेशों में ड्यू डेट से वेतन भत्तों का लाभ दिये जाते रहे थे। इस दौरान जारी चयन द्वारा नियुक्ति के आदेशों में कभी भी "कार्य नहीं वेतन नहीं" का उल्लेख नहीं रखा गया था।
- वर्ष-1991 में वरिष्ठ प्रवर श्रेणी का "चौथा वेतनमान" (अपर संचालक स्तर) स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2013 में अधिसमय वेतनमान का "पाँचवा वेतनमान" (संचालक स्तर) स्वीकृत हुआ इस समय प्रवर श्रेणी से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी से अधिसमय वेतनमान में PSC के माध्यम से "पदोन्नति" का प्रावधान रखा गया था। इसीलिए इस दौरान इन दोनों स्तरों के पदोन्नति के जारी आदेशों में, "कार्य नहीं वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू किया गया जो पूर्णतः सही था।
- सेवा भर्ती नियमों में संशोधन के परचात, वर्ष-2018 से वित्त सेवा संवर्ग के सभी वेतनमानों को एक समान, "चयन द्वारा नियुक्ति" वाली क्रमोन्नति प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया गया।

कार्यालय : F - 108/54, शिवाजी नगर, भोपाल - 462011

यसवन्त सिंह - मो. नं. 8817715763 ईमेल : vittvyavastha@gmail.com

4. वित्त सेवा के अंतर्गत 08 वे, 16 वे, 30 वे एवं 35 वे वर्ष में प्रदान किये जाने वाली राज्य शासन की "क्रमोन्नति प्रक्रिया" का प्रावधान नहीं है न ही किसी भी स्तर पर पदोन्नति का प्रावधान है। राज्य प्रशासनिक सेवा की तरह वित्त सेवा में भी सभी स्तरों पर "चयन द्वारा नियुक्ति" का प्रावधान वर्ष-2018 से निरंतर लागू है।

5. सामान्यता पदोन्नति में "कार्य नहीं वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि पदोन्नत पद में ज्वार्निंग रिपोर्ट देने अनिवार्य है इसीलिए पदोन्नति में "कार्य नहीं वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू होता है। जबकि "क्रमोन्नति/चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्ति" में एक निश्चित तिथि से वेतनमान स्वीकृत किया जाता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी पद पर ज्वार्निंग का प्रावधान नहीं होता। ज्वार्निंग किसी पद पर की जाती है, किसी प्राप्त हो रहे वेतनमान पर नहीं। इसीलिए ऐसे प्रकरणों में "कार्य नहीं वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

6. राज्य पुलिस सेवा तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के जारी आदेशों में भी "कार्य नहीं वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

संक्षेप में, पूर्व में वित्त सेवा के अंतर्गत कुछ स्तरों पर पदोन्नति का प्रावधान था तथा कुछ स्तरों पर चयन का प्रावधान था परन्तु वर्ष-2018 से वित्त सेवा संवर्ग के सभी वेतनमानों में "चयन द्वारा नियुक्ति" दिये जाने का "सेवा शर्तें एवं भर्ती नियमों" में संशोधित प्रावधान कर दिया गया है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि भविष्य में, वित्त विभाग द्वारा सभी श्रेणियों में "चयन द्वारा नियुक्ति" के जो आदेश जारी किये जावे, उन सभी में "कार्य नहीं वेतन नहीं" की टीप विलोपित किये जाने के आदेश जारी करने का अनुरोध है।

आशा है संघ के इस अनुरोध/प्रतिवेदन पर आप, वित्त विभाग के अधिकारियों को परीक्षण कर उचित निर्देश शीघ्र की जारी करवायेंगे।



अध्यक्ष